**संख्या-49/357/22-4-2023/48(45)/19**

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक / महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

**कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4** **लखनऊः दिनाँक-12 जून,2023**

विषयः- जिला कारागार, बाँदा में ट्यूबवेल, ओवर हेड टैंक एवं पाइप लाइन के निर्माण कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु अवशेष धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-7066/नम-2/2019-20/बांदा ट्यूबवेल, दिनाँक 02.03.2023 एवं पत्र संख्या-17959/नम-2/2019-20/बांदा ट्यूबवेल, दिनाँक 30.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया वित्तीय वर्ष 2023-24 में जिला कारागार, बाँदा में ट्यूबवेल, ओवर हेड टैंक एवं पाइप लाइन के निर्माण कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु शासनादेश दिनाँक 16.11.2022 द्वारा दी गयी रू0 1,81,17,000 (रूपया एक करोड़ इक्यासी लाख सत्रह हजार मात्र) की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 94.51 लाख (रूपया चौरानवे लाख इक्यावन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करती हैः-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय, वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा ।

(2) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य / मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय उसी मद में किया जायेगा ।

(3) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा ।

(4) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नही रखी जायेगी ।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग एवं कार्य निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण कर लिया जाए ।

(6) कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के संपरीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिए जाएं ।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- प्रश्नगत योजना की मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-85/2019/1018/22-4-19-48(45)/19, दिनाँक 21.11.2019 एवं शासनादेश संख्या-114/2022/1123/22-4-2022-48(45)/19, दिनाँक 16.11.2022 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी ।

4- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-051-निर्माण-04-कारागारों में जलापूर्ति एवं स्वच्छता में सुधार-24-वृहद निर्माण कार्य" के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा तथा उक्त लेखा शीर्षक / मद के नामे डाला जायेगा ।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनाँक 17 मार्च,2023 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव ।

संख्या-49/357(1)/22-4-2023, तद्दिनाँकित ।

प्रतिलिपिः-निम्निलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज ।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज ।
(3) प्रबन्ध निदेशक, सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ ।
(4) जिलाधिकारी, बाँदा ।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ ।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
(7) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
(8) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन ।
(9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(10) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

रामध्यान रावत
अनु सचिव ।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।